संख्या-1/2026/22 /इक्कीस-उर्दू-2/2026/001-21-10025-1-2023-2-12

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा के संचालन के लिए गैर वेतन मद में द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 में सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा संपन्न कराने हेतु श्री राज्यपाल महोदय प्रावधानित बजट रुपये 2,50,000/- (रुपये दो लाख पचास हज़ार मात्र) बजट प्रावधान के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में आपके निवर्तन पर शासनादेश संख्या-180/इक्कीस-उर्दू-2/2025 दिनांक 24 नवम्बर, 2025 द्वारा धनराशि रुपये 1,25,000/- (रुपये एक लाख पच्चीस हज़ार मात्र) वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। आवंटित धनराशि का सदुपयोग करते हुए सचिव,परीक्षा नियामक प्राधिकारी/ रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या: कोष/1820-26/2025-26 दिनांक:16-02-2026 द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में अवशेष धनराशि 1,25,000/- रूपये के सापेक्ष मात्र रूपये 16,481/- (रुपये सोलह हजार चार सौ इक्यासी मात्र) निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है। शासनादेश संख्या-180/इक्कीस-उर्दू-2/2025/001-21-10025-1-2023-2-11 दिनांक 24 नवम्बर,2025

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकतानही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

के अनुक्रम में सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) मानक मद-20 में द्वितीय किस्त के रूप में रुपये 16,481/- (रुपये सोलह हजार चार सौ इक्यासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- (1) उक्त धनराशि शासन के निर्देशानुसार आपके माध्यम से सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी/ रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा व्यय की जाएगी और परीक्षा सम्बन्धी औपचारिकताओं के पूर्ण होने एवं आवश्यक व्ययों के पश्चात द्वितीय किस्त की धनराशि का लेखा-जोखा एवं निर्धारित प्रारूप में उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषण किया जाना सुनिश्चित करें।

(2) उक्त धनराशि पर वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के अन्तर्गत निहित प्राविधान लागू होंगें। इसके अतिरिक्त यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–6/2025/बी-1-352 /दस-2025-231/2025 दिनाँक: 27 मार्च, 2025 के अंतर्गत निर्गत किये जा रहेहैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,481/- (रुपये सोलह हजार चार सौ इक्यासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 039 **लेखाशीर्षक** 2202051020600 राज्य कर्मचारियों को उर्दू की दक्षता परीक्षा पास करने पर पुरस्कार की योजना **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के नामे डाला जायेगा

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-195-X-2025-26, दिनांक 28 फरवरी, 2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 22(1) /इक्कीस-उर्दू-2 /2026/001-21-10025-1-2023-2-12, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- नोडल अधिकारी, आनलाइन बजट अलाटमेन्ट सिस्टम, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकतानही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,उ0प्र0हिन्दी संस्थान, लखनऊ।

6- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ,उ०प्र०/रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें , उ०प्र० प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि व्यय का विवरण शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाए ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।

8 भाषा (उर्दू) अनुभाग-4 ।

9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मो0 आसिम रिज़वी)

अनुसचिव

http://shasanade

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकतानही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।